


उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2
संख्या-वे0आ0-2-583/दस-34(एम)/2008 टी0सी0
लखनऊ: दिनांक: 28 मई, 2010

संकल्प


विषय:- छोटे वेतन आयोग की संस्तुतियों को प्रदेश के विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों पर लागू करने के सम्बन्ध में विचार हेतु वेतन समिति का गठन।

छोटे वेतन आयोग की संस्तुतियों पर केन्द्र सरकार द्वारा वेतनमानों के सम्बन्ध में लिये गये निर्णय के आधार पर राज्य सरकार द्वारा वेतनमानों के पुनरीक्षण के सम्बन्ध में संस्तुति करने के लिए संकल्प संख्या-वे0आ0-2-870/दस-34(एम)/2008 टी0सी, दिनांक 29 अगस्त, 2008 सपटित संकल्प संख्या-वे0आ0-2-824/दस-34(एम)/2008 टी0सी, दिनांक 22 अगस्त, 2008 द्वारा गठित वेतन समिति का कार्यकाल संकल्प संख्या-वे0आ0-220/दस-34(एम)/2008 टी0सी, दिनांक 18 मार्च, 2009 द्वारा दिनांक 31 अगस्त, 2010 तक के लिए बढ़ाये जाने का निर्णय लिया गया है। वेतन समिति के सदस्य के रूप में नामित श्री बी0एन0 दीक्षित, सचिव वित्त (वेतन आयोग) के सेवानिवृत्त हो जाने के फलस्वरूप इनके स्थान पर श्री प्रशान्त त्रिवेदी, वर्तमान सचिव वित्त (वेतन आयोग) को समिति का सदस्य नामित किये जाने हेतु राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उपर्युक्त संकल्प दिनांक 20 अगस्त, 2008 इस सीमा तक संशोधित सम्झा जायेगा।

आज्ञा से,

(मनजीत सिंह)
प्रमुख सचिव।

- 1- यह आदेश दिया कि संकल्प को उत्तर प्रदेश के असाधारण गजट में विज्ञापित किया जाय।
- 2- आदेश दिया कि इस संकल्प की प्रति सचिवालय के समस्त अनुभागों तथा सम्बन्धित अधिकारियों को भेजी जायें।
- 3- आदेश दिया कि इस संकल्प की प्रति समस्त सार्वजनिक निगमों/उपक्रमों को भेजी जायें।

आज्ञा से,

(मनजीत सिंह)
प्रमुख सचिव।